संख्या-30/2016/674 ई-2/तेरह-2016-33/2016

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 07 जून,2016

विषय:- प्रदेश की डिस्टिलरियों से नेपाल एवं भूटान राष्ट्र को अल्कोहल निर्यात करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-46/नौ-अल्कोहल/2014-15/767/शामली, दिनांक 10 मार्च,2016 तथा पत्र संख्या-जी-45/नौ-अल्कोहल/2014-15/770/रेडिको, दिनांक 10 मार्च,2016का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके उक्त संदर्भित पत्रों दिनांक 10 मार्च,2016 में नेपाल एवं भूटान की इकाईयों को अल्कोहल निर्यात की अनुमति पूर्व की भांति आबकारी आयुक्त के स्तर से निर्यात परमिट फीस की देयता के साथ अथवा दूसरे देशों को निर्यात किये जाने वाले प्रकरणों की भांति शासन की पूर्वानुमति दिये जाने के सम्बन्ध में मांगे गये मार्गदर्शन के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त राजस्वहित में सुसंगत नियमों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये नेपाल एवं भूटान की इकाईयों को प्रदेश से अल्कोहल निर्यात करने की वर्तमान व्यवस्था को यथावत् बनाये रखने का निर्णय लिया गया है ।

कृपया तद्नुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in